24/04/26

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा (म.प्र.)

वर्ष 2026–27 में जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर प्रिटिंग (पेपर मुद्रण) कार्य कराने के लिए ई–निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा प्रक्रिया विवरण

1	निविदा का प्रकार	वर्ष 2026–27 में जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर **प्रिटिंग (पेपर मुद्रण) कार्य** कराने के लिए ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।
2	निविदा दस्तावेज ऑनलाईन क्रय हेतु उपलब्धता	शासकीय निविदा प्रपत्र मूल्य राशि 5000/– (पॉच हजार रूपये) है जो ई–टेण्डर **http://mptenders.gov.in** पर देय होगा। कोई समस्या आने पर ई–टेण्डर के हेल्प लाईन नम्बर पर सम्पर्क करें।
3	ऑनलाईन निविदा जारी करने की दिनांक एवं समय	12 मई 2026 समय दोपहर 3 बजे
4	ऑनलाईन निविदा क्रय करने की दिनांक एवं समय	12 मई 2026 समय शाम 5 बजे से
5	ऑनलाईन निविदा क्रय करने की अंतिम दिनांक एवं समय	01 जून 2026 समय शाम 5 बजे तक
6	ऑनलाईन निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समय	01 जून 2026 समय शाम 5 बजे तक
7	तकनीकी निविदा ऑनलाईन खोले जाने की दिनांक एवं समय	02 जून 2026 समय शाम 6 बजे
8	वित्तीय निविदा ऑनलाईन खोले जाने की दिनांक एवं समय	निविदा समिति निर्णय अनुसार

(डॉ0 यत्नेश त्रिपाठी)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला रीवा (म.प्र.)

24.4.26

24/4/26

24.4.26

24.04.2026

//निविदा एवं शर्ते//

वर्ष 2026–27 में जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर **प्रिटिंग (पेपर मुद्रण) कार्य** कराने के लिए ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा की शर्ते निम्नानुसार रहेगी :–

1. निविदाकर्ता को निविदा दो भागों में प्रस्तुत करना होगा।

भाग (1) अनिवार्य अर्हताएँ तकनीकी बिड क्रमांक 1 – फर्म/कंपनी पंजीकरण प्रमाण पत्र, पंजीयन क्रमांक (गुमास्ता), जीएसटी, पैन कार्ड, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि से कर्मचारियों एवं स्थापना हेतु पंजीकरण, धरोहर राशि, कार्य अनुभव, दस्तावेज ऑनलाईन ही स्वीकार किये जायेगें। तकनीकी ऑफर – प्रपत्र संलग्न

भाग (2) वित्तीय बिड क्रमांक 2 – वित्तीय ऑफर – इसमें निविदा दरें प्रस्तुत करना होगा। दर का प्रारूप ऑनलाईन ही स्वीकार किये जायेगे

2. निविदा की वित्तीय दरें ऑनलाईन निर्धारित प्रपत्र में संपूर्ण कॉलम में भरा जाना अनिवार्य हैं वित्तीय तुलनात्मक पत्रक बिना कर के बेसिक रेट से तैयार किया जाकर एल–1 का निर्धारण किया जायेगा ।
3. निविदा के लिए एक मुश्त धरोहर राशि 30000/– EMD जो कि ऑनलाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के अभाव में निविदाएं अमान्य की जावेंगी। नगद अथवा चेक किसी भी स्थिति में मान्य नही होंगे। अगर किसी निविदाकर्ता की निविदा मान्य नहीं हुई है तो ऐसी स्थिति में उपरोक्त धरोहर राशि अस्वीकृत होने पर धरोहर राशि स्वतः ही वापस हो जावेगी।
4. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत का अधिकार गठित समिति का होगा, जो सभी निविदाकारो को मान्य होगा। तकनीकि रूप से सफल निविदाकारो द्वारा प्रस्तुत वित्तीय दरो के तुलनात्मक प्रपत्र के आधार पर न्यूनतम दर वाली फर्म को आदेश जारी किया जावेगा।जिस फर्म की दरे स्वीकृत होगी उसे परफार्मेंस राशि 50000/–(पचास हजार रूपये) ऑनलाइन अथवा डीडी/बैंकर चेक/एफडी के रूप में जमा करनी होगी साथ ही स्वयं के व्यय पर 1000/– रूपये के स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित कराना होगा, तत्पश्चात कार्य आदेश जारी किया जावेगा।
5. दिये गये आदेश की व्यवस्था निश्चित समय एवं स्थान पर स्वीकृत निविदाकर्ता द्वारा करानी होगी। तत्पश्चात् देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा।
6. देयकों का भुगतान शासन से स्वीकृति मिलने एवं राशि की उपलब्धता होने पर ही किया जाएगा। विलंब से भुगतान होने पर विभाग/संस्था पर किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त वित्तीय भार निविदाकर्ता द्वारा नहीं लिया जाएगा।
7. कार्यालय द्वारा भुगतान की जाने वाली देयक राशियों में से नियमानुसार टी.डी.एस./जी. एस.टी. अथवा अन्य शासकीय करों का कटौत्रा शासन के निर्देशानुसार किया जाएगा।

24.04.2026

24/04/26

8. प्राप्त निविदायें मान्य करने, अमान्य करने, किसी प्रश्न या निविदा शर्तों मे सुविधा की स्थिति या किसी तथ्य को स्पष्ट करने की आवष्यकता होने, निरस्त करने, किसी भी शर्त को शिथिल करने एवं निविदा को किसी भी समय निरस्त करने की आवष्यकता होने पर निविदा समिति अपने अध्यक्ष एवं समिति सदस्यों के बहुमत से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा के द्वारा किया जावेगा। किसी भी विवाद की स्थिति में प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार के अनुक्रम में निविदा समिति के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

9. स्वीकृत निविदाकर्ता यदि नियमों एवं शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसे मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार डिफाल्टर घोषित किया जायेगा।

10. किसी भी प्रकार के विवाद को हल करने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा अधिकृत होगें।

11. संस्था का वैध स्थापना पंजीयन क्रमांक, जीएसटी पंजीयन एवं पेन कार्ड, ईपीएफ एवं इएसआईसी की छाया प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

12. प्रदाय की जाने वाली सामग्री, संबंधित संस्था/स्थान (रीवा/मऊगंज) पर डोर डिलेवरी पहुँचाना या निर्धारित स्थान पर लगााना होगा, इसके लिए अलग से व्यय देय नहीं होगा।

13. निविदा 02 वर्ष की अवधि अथवा सक्षम आदेश द्वारा नवीन निविदा के प्रभावशील होने तक मान्य होगी निविदा अवधि में किसी भी प्रकार के मूल्य वृद्धि को मान्य नहीं किया जायेगा।

14. एक समान दर की एक से अधिक निविदाएं प्राप्त होने पर सर्वप्रथम स्थानीय फर्म को प्राथमिकता दी जावेगी, ज्यादा वर्षो में कार्यानुभव को प्राथमिकता दी जायेगी। उसके उपरान्त स्थानीय फर्मों की दरे भी समान पायी जाने परमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा को अधिकार होगा कि ऐसे समस्त निविदाकारों में से किसी एक को अथवा सभी निविदाकारों को बारी बारी से आदेश दें।

15. समस्त भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से किया जावेगा। इस हेतु निविदाकर्ता अपनी फर्म की बैंक पास बुक की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करे।

16. यदि सफल निविदाकर्ता उच्च गुणवत्ता का कार्य क्रय आदेश निश्चित की गई समयावधि में सुनिश्चित करने में असफल रहता है तो ऐसी स्थिति में कार्य को द्वितीय स्तर पर रहें निविदाकर्ता या अन्य से क्रय करने पर न्यूनतम अनुमोदित दर से अधिक दर पर क्रय करने के कारण अधिक भुगतान की गई राशि संबधित अनुमोदित सफल प्रदायकर्ता से वसूली की जायेगी अथवा सुरक्षा निधी से समायोजित कर ली जावेगी।

17. निविदाकर्ता को न्यूनतम 03 वर्ष का शासकीय कार्यालय/विभाग में कार्य (इस निविदा मे दी सेवाओं/वस्तुओं का) करने का पूर्व मे अनुभव होना अनिवार्य है। **(कार्य आदेशो की छाया प्रति संलग्न करे।)** एम.एस.एम.ई. में रजिस्टर्ड निविदाकार को शासकीय विभाग में कार्य करने के अनुभव में 01 वर्ष की छूट प्रदाय की जावेगी।

18. निविदाकर्ता के पास वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24,एवं 2024-25 का न्यूनतम राशि रूपये 50,00000/-(पचास लाख रूपये मात्र) प्रतिवर्ष के मान से टर्नओवर होना चाहिये। इस सम्बन्ध मे अंकेक्षित वित्तीय विवरण अथवा अंकेक्षण न होने की स्थित मे परिषिष्ट ''**स**'' संलग्न प्रारूप मे सी.ए. द्वारा सत्यापित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करे।)

19. निविदाकर्ता द्वारा प्रदेश अथवा प्रदेश के बाहर किसी भी शासकीय,अर्धशासकीय संस्था, केन्द्रशासित संस्था द्वारा प्रतिबन्धित/ब्लैकलिस्ट न किये जाने का शपथ पत्र 1000/– रूपये के स्टाम्प में परिषिष्ट "**द**" संलग्न प्रारूप मे प्रस्तुत करना होगा। यदि शपथ पत्र गलत पाया जाता है अथवा शिकायत की पुष्टि होती है तो संस्था का निविदा आवेदन/अनुबन्ध समाप्त कर उसकी धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी एवं अगले दर एल–2 से कार्य कराया जावेगा।

20. निविदाकर्ता को विगत तीन वर्षों के आयकर रिटर्न एवं वर्ष 2024–25 के जी.एस.टी. रिटर्न उपलब्ध कराना होंगे।

21. फर्म का स्वयं का प्रिन्ट्रिग (पेपर मुद्रण) के कार्यो को करने हेतु आवश्यक मशीने/कारखाना होना चाहियें, जिसके दस्तावेज (फोटो आदि) तकनीकि बिड मे संलग्न करे,जो सही पाये जाने पर ही फर्म वित्तीय बिड हेतु पात्र होगी। संस्था के पास उपलब्ध मशीनों की जानकारी निविदाफार्म के साथ संलग्न करें।

22. निविदा की तकनीकी बिड खुलने के पश्चात आपत्ति होने पर निविदाकार को उसी दिन लिखित मे अवगत कराना होगा, अन्यथा आपत्ति मान्य नही की जावेगी ।

23. यदि सफल निविदाकर्ता अनुबन्ध कराने के पूर्व ही कार्यालय से अपना प्रस्ताव वापस ले लेता है, अथवा नियत अवधि मे अनुबन्ध नही कराता है तो उसकी धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी। एवं अगले न्यूनतम दर (एल–2) को (एल–1 की दर पर) अनुबन्ध कराने हेतु आदेशित किया जावेगा।

24. निविदाकार को निविदा के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज का उल्लेख चेकलिस्ट में निम्नानुसार तैयार किया जावे चेक लिस्ट से अतिरिक्त संलग्न दस्तावेज स्वीकार नही किये जावेगें–

क्रमांक	दस्तावेज का नाम	पेज क्रमांक...से ...तक	रिमार्क

25. कार्य संतोषजनक न होने अथवा निविदाशर्तो का पालन न करने पर एक माह पूर्व नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकेगा।

26. निविदा के साथ निविदाकार के द्वारा सील एवं साइन किया गया हुआ निविदाफार्म संलग्न करना अनिवार्य होगा।

27. यदि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय दरें बाजार की प्रचलित दर से कम या अधिक की पाई जाती है तो निविदा समिति के पास गुणवत्ता एवं नमूना की जॉच करने के पश्चात निविदा स्वीकृति अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

28. निविदाकार को उक्त कार्य से संबंधित निविदाकार के कर्मचारियों/श्रमिको हेतु ठेकेदार श्रमिक (विनियम एवं उन्मूलन) म.प्र. नियम 1973 का पालन सुनिश्चित करना होगा। जिसके लिये कोई भी अतिरिक्त भुगतान कार्यालय द्वारा नही किया जावेगा।

(डाॅ० यत्नेश त्रिपाठी)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला रीवा (म.प्र.)

24.04.2026 24.4.26 24.4.26

तकनीकी ऑफर

// प्रिंट्रिग(पेपर म्रुदण) कार्य करने हेतु आवेदन पत्र //

1. आवेदित संस्था/फर्म/एंजेसी का नाम :– ....
2. पूर्ण पता :– ....
   :– ....
3. मोबाईल नम्बर/ई.–मेल आई.डी. :– ....
4. निविदाकार का पैन नम्बर संलग्न करें :– ....
5. निविदाकार का /जीएसटी पंजीयन संलग्न करें :– ....
6. संस्था का पंजीयन क्रमांक एवं वर्ष :– ....
7. कर्मचारी राज्य बीमा निगम का पंजीयन – ....
8. कर्मचारी भविष्य निधि का पंजीयनः–..
9. धरोहर राषि का विवरण :– राषि रू. 30000/– EMD ....
10. शासकीय संस्था मे कार्य किये :– वर्ष ....
    जाने का अनुभव
    आदेशो की प्रतिलिपि संलग्न करें।
    (न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव)
11. विगत तीन वर्षो का टर्नओवर :– वर्ष 2022–23 ....
    (सी.ए. द्वारा सत्यापित परिशिष्ट स) वर्ष 2023–24 ....
    संलग्न करे। वर्ष 2024–25 ....
12. निविदाकर्ता को विगत तीन वर्षों के आयकर रिटर्न एवं वर्ष 2024–25 के जी.एस.टी. रिटर्न उपलब्ध कराना होंगा।
13. फर्म के नाम मशीन/कारखाना के दस्तावेज संलग्न करे।
14. एम.एस.एम.ई. रजिस्ट्रेशन :– ....

स्थान :– ....

दिनांक :– ....

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नामः–..

(परिशिष्ट "स")

ANNUAL TURN OVER STATEMENT

(This certificate has to be issued by the concerned Chartered Accountant on his letter head only

ANNUAL TURN OVER STATEMENT

The Annual Turnover of M/s---for the post three year are

Given below and certified that the statement is true and correct.

SL.No.	Financial Year	Turnover (Amount in INR)
1	2022-23	
2	2023-24	
3	2024-25	

Total - INR

Average turnover Per annual- INR

The above information is correct and true and verified from the audited final accounts

Date-

Seal-

Signature of Auditor
(Chartered Accountant)
(Name in Capital)
Membership No……………..

(परिशिष्ट "द")

घोषणा पत्र(शपथ–पत्र)

(1000/–रूपये के नान–ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाये)

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हूँ/हैं।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिए सक्षम हूँ/हैं।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से वहिष्कृत नही किया गया हैं।
4. मैं/हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर, जो कि म.प्र.शासन के किसी विभाग द्वारा वहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते हैं।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तो के अलावा अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत नही की गयी है। यदि अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत की गई हैं,तो उसे अमान्य माना जायें।
6. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं अन्य स्वास्थ्य संस्था के किसी अधिकारी/कर्मचारी से सीधे संबंध नही हैं।
7. हमारी संस्था के विरूध सी.बी.आई./लोकायुक्त/ई.ओ.डब्ल्यू./शासकीय कार्यालय इत्यादि में कोई जॉच लंबित नही हैं और न ही सक्षम न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और न ही दण्डित किया गया हैं।
8. केन्द्र/राज्य सरकार को देय कोई भी कर मेरी संस्था/मेरे ऊपर बकाया नही हैं।
9. मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही हैं। असत्य पाये जाने पर मेरे विरूध विधिसम्मत कार्यवाही के किये जाने पर मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा।

गवाह के हस्ताक्षर

1.गवाह का नाम ....

पता..

2. गवाह का नाम..

पता..

आवेदक/प्रोपा. के हस्ताक्षर

संस्था के सक्षम अधिकारी का नाम..

....

पता..

संस्था का नाम एवं पता...................

स्थान :– ....

दिनांक :– ....

Signature Not Verified

Digitally signed by Yatnesh Tripathi
Date: 2026.05.12 20:26:18 IST
Location: Madhya Pradesh-MP